राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(13)न्याय/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक- 08.07.2019

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-34 किशोर न्याय बोर्डों में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पद के लिये अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के 34 न्यायिक अधिकारियों के पद एवं वांछित स्टाफ पद सृजित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में स्थापित 34 किशोर न्याय बोर्डों यथा- अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, दौसा, अजमेर, बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, जैसलमेर, झालावाड़, झुन्झुनू, करौली, कोटा, मेड़ता सिटी (नागौर), पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर सिरोही, टोंक में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पद के लिये अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के 34 न्यायिक अधिकारियों के पद एवं वांछित स्टाफ पद सृजित करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम पद	पदों की संख्या (प्रति किशोर न्याय बोर्ड)	पे-स्केल/पे-बैण्ड	पे-मैट्रिक्स/ लेवल	ग्रेड-पे	कुल पद (34 किशोर न्याय बोर्डों के लिये)
1.	पीठासीन अधिकारी	1 पद	39580-54010	46770	-	34
2.	शीघ्र लिपिक ग्रेड-II	1 पद	9300-34800/पी. बी-2	37800/L 11	4200	34
3.	रीडर ग्रेड-II	1 पद	9300-34800/पी. बी-2	38800/L 10	3600	34
4.	क्लर्क ग्रेड-II	1 पद	5200-20200/पी. बी-1	20800/L 5	2400	34
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8 पद	5200-20200/पी. बी-1	17700/L 1	1700	102
	कुल	7 पद				238

उक्त पदों का सृजन राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

मॉडिफाईड बी.एफ.सी से पूर्व उक्त किशोर न्याय बोर्डों एवं पदों के संबंध में नवीन लेखामद खुलवाया जाना सुनिश्चित करायें।

to be uploaded
11/7/19

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 10190177 दिनांक 16.04.2019 एवं 10190197 दिनांक 18.06.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त (व्यय-5) वित्त, बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक :- जी/आई/एफ/(1)(a)66/19/3122 दिनांक :- 11-07-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
02. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर जिला, जयपुर महानगर, उदयपुर, जोधपुर महानगर, दौसा, अजमेर, बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़ा, झुंझुनू, करौली, कोटा, मेड़ता सिटी (नागौर), पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही एवं टोंक।
03. A.O.J.(Budget Section), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
04. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)